(16)

संख्या–185 बीपी/35–1/2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1

लखनऊः दिनॉक 06 अगस्त, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत लघु सिंचाई की परियोजनाओं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्या–34 बीपी/35–1–2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन लघु सिंचाई से संबन्धित निम्नांकित मदों/परियोजनाओं को रू. 17250.00 लाख की लागत (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 1720.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी और सम्पूर्ण धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2014–15 में शासनादेश संख्या–132बीपी/35–1–2014, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं हेतु रू 3900.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतद्द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय तथा वर्ष 2014–15 में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए रू 1885.00 लाख (रूपये अटठारह करोड़ पिचासी लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(लाख रू.)

	परियोजना का नाम	2013–14		वर्ष 2014–15 में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
		अवमुक्त धनराशि	व्यय		
1	सामुदायिक नलकूपों का निर्माण	120.00	0.00	425.00	0.00
2	चैक डैम का निर्माण	1600.00	0.00	3475.00	1885.00
	योग	**1720.00**	**0.00**	**3900.00**	**1885.00**

1– संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2014 तथा 16 जून, 2014 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस शासनादेश से उक्त कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष फेजिंग के अनुसार अनुमन्य धनराशि का पूर्ण आवंटन हो जाता है। कार्यो को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व लघु सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7– कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

2– स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट के अनुदान संख्या–40 के अंतर्गत 4575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04– बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं–82– लघु सिंचाई के अंतर्गत चेक डैमों का निर्माण–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–2457/दस–2014–231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 185 बीपी(1)/35–1–2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई/वन विभाग/कृषि विभाग ।
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट/लखनऊ।
10– गार्ड फाईल।
11– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
12– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।